

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

पत्र संख्या : 1/ अ0प्र0-1001/2008-सा0 प्र0-8747/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

श्री कौशल किशोर, भा0प्र0से0 (बी एच:2010),
अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।
श्री कैवल तनुज, भा0प्र0से0 (बी एच:2010),
अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।
श्री हिमांशु कुमार राय, भा0प्र0से0 (बी एच:2010),
अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ।
श्री गोरखनाथ, भा0प्र0से0 (बी एच:2006),
अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
श्री विजय कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच:2007),
अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना ।
श्री मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0 (बी एच:2011),
कारा महानिरीक्षक, गृह विभाग, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक: 01 जुलाई, 2019


विषय :- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 08.07.2019 से 02.08.2019 तक की अवधि में प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III के संबंध में ।

प्रसंग:- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-T-17012/4/2019-Academy Desk, दिनांक 03.04.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 08.07.2019 से 02.08.2019 तक की अवधि में प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III में भाग लेने की अनुमति निदेशानुसार संसूचित की जाती है ।

विश्वासभाजन,


01.7.19
सरकार के अवर सचिव ।

स्पीड पोस्ट/फैक्स/ई-मेल

ज्ञापांक :1/अ0प्र0-1001/2018-सा0 प्र0-8747/पटना-15, दिनांक: 01 जुलाई, 2019
प्रतिलिपि:-श्री के0 श्रीनिवास, भा.प्र.से., अपर सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशिक्षण प्रभाग, ब्लॉक-4, पुराना जेएनयू कैम्पस, नया

महरोली रोड, नई दिल्ली-110067/श्री आलोक मिश्रा, उप निदेशक(एसआर), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी-248179 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/
01.7.19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 1/अ0प्र0-1001/2018-सा0 प्र0-8747/पटना-15, दिनांक: 01 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-04, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना से संबद्ध पदाधिकारियों की अनुपस्थिति अवधि में उनके प्रभार की व्यवस्था आंतरिक रूप से करने की कृपा की जाय।

20/
01.7.19
सरकार के अवर सचिव।